



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092026-276664
CG-DL-E-30092026-276664

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5187]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2026/आश्विन 8, 1948

No. 5187]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2026/ASVINA 8, 1948

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितंबर, 2026

का.आ. 5396(अ).— पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा श्री सौरभ कुमार तिवारी, आईपीएंडटीएण्डएफएस (1993), अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली को पदभार ग्रहण करने की तिथि से या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पाँच वर्ष की अवधि के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) में पूर्णकालिक सदस्य (अर्थशास्त्र) के पद पर नियुक्त करती है।

[फा.सं. 19/3/2019 पीआर]

समीर कुमार, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2026

S.O. 5396(E).— In exercise of powers conferred by Section 4 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (23 of 2013), the Central Government hereby appoints Shri Saurabh Kumar Tiwari, IP&TA&FS (1993), Additional Secretary, Cabinet Secretariat, New Delhi to the post of Whole Time Member (Economics), Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) for a tenure of five years with effect from the date of assumption of charge of the post or till attaining the age of 62 years or until further orders, whichever is the earliest

[F.No. 19/3/2019 PR]

SAMIR KUMAR, Economic Adviser